4 जून, 2020 **सरकारी आदेश 2020-41**

<u>कोविड-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश</u>
<u>कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 39)</u>

चूँकि, कुछ ही समय में कोरोनावायरस 2019 (कोविड-19), जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, ने शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गया है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) श्वसन संचरण के माध्यम से लोगों में फैल सकता है, लक्षणहीन लोग वायरस का पारवहन कर सकते हैं, और इस समय कोई भी प्रभावी उपचार या वैक्सीन नहीं है; और,

जबकि, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 1 अप्रैल, 2020 को,मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव के कारण, आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 30 अप्रैल, 2020 को, चूंकि कोविड-19 (COVID-19) का प्रसार जारी रहने की अपेक्षा, और संपूर्ण राज्य में परिणामी स्वास्थ्य प्रभावों के कारण, और अस्पताल शैया, ICU शैया, वेंटिलेटरों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और विषाणु यानि वायरस के परीक्षण की सामग्री की संभावित कमी को दूर करने के लिए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया था (तृतीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम व द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

जबकि, 29 मई, 2020 को, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के कारण हुई हजारों मौतों, मामलों में लगातार वृद्धि, अस्पताल शैयाओं, ER शैयाओं और वेंटिलेटरों की कमी का ख़तरा लगातार बने रहने, और पहले से बेहतर पर अभी-भी अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, और विषाणु यानि वायरस के कारण हुए वित्तीय विनाश के कारण, मैंने पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, कोविड-19 के प्रकोप के समय इसके प्रसार को रोकने या धीमा करने तथा COVID-19 महामारी के दौरान लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु इलिनॉय राज्य के लिए लगातार तत्काल और महत्त्वपूर्ण उपाय करते रहना आवश्यक और उचित है; और,

जबकि, कार्यकारी आदेश 2020-38 सामाजिक दूरी व्यवहार में लाने, सार्वजनिक स्थानों पर फ़ेस कवर पहनने, और लोगों के एकत्रण को दस या कम लोगों तक सीमित करने को अनिवार्य करता है; और,

जबकि, खेल जुआ अधिनियम (स्पोर्ट्स वेजरिंग एक्ट), 230 ILCS 45/25-30(f), 25-35(f), एवं 25-40(i) यह आवश्यक करता है कि व्यक्ति, अधिनियम के अनुसरण में अधिकृत इकाई में स्वयं आकर खेल जुआ खाता (स्पोर्टस वेजरिंग अकाउंट) खोलें; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए लागू की गईं सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं के कारण, और चूंकि खेल जुआ अधिनियम (स्पोर्ट्स वेजरिंग एक्ट) के अनुसरण में अधिकृत, मौजूदा अनुज्ञप्त (लाइसेंस-प्राप्त) कसीनो जुआ इकाइयां 16 मार्च, 2020 से जनता के लिए बंद की जा चुकी हैं और वे केवल तब दोबारा खुलेंगी जब इलिनॉय बहाली (रेस्टोर इलिनॉय) योजना के अनुसरण में ऐसा करना सुरक्षित होगा, अतः इलिनॉय के निवासी किसी अनुज्ञप्त (लाइसेंस-प्राप्त) कसीनो में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हो सकते हैं;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझ में निहित शक्तियों द्वारा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(2), 7(8), 7(12) के अनुसार, मैं एतद्द्वारा 4 जून 2020 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश देता हूं:

अनुभाग 1. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान, खेल जुआ अधिनियम (स्पोर्ट्स वेजरिंग एक्ट), 230 ILCS 45/25-30(f), 25-35(f), एवं 25-40(i), के वे उपबंध स्थगित किए जाते हैं जो इंटरनेट या किसी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्रस्तुत खेल जुए (स्पोर्ट्स वेजरिंग) में भाग लेने के लिए अधिनियम के अनुसरण में अधिकृत की गई किसी इकाई में स्वयं आकर खेल जुआ खाता (स्पोर्ट्स वेजरिंग अकाउंट) खोलना आवश्यक करते हैं।

अनुभाग 2. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया हैं।

____

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 4 जून, 2020 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 4 जून, 2020 को दायर